

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं0 /2010/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांक:: देहरादून :: २२ जनवरी, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2009

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005)(द्वितीय संशोधन) 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2— नियम 11 के उपनियम(1), उपनियम(2), उपनियम(3) तथा उपनियम(7) का संशोधन एवं नये उपनियम(10) एवं उपनियम(11) का जोड़ा जाना—

उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर नियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007, जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है, के नियम 11 के—

(क) वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम (1) रख दिया जायेगा—
(1) उपनियम (2) के अन्तर्गत आच्छादित से भिन्न प्रत्येक ब्यौहारी जो कर के लिये दायी है, अपने आवर्त की सावधिक विवरणी फार्म 3 में कर निर्धारिक प्राधिकारी को निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत करेगा—

(एक) एक मासिक विवरणी, अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व, यदि पूर्ववर्ती वर्ष में आवर्त 25 लाख रुपये से अधिक था;

(दो) जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31 और मार्च 31 को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही की विवरणी, सम्बन्धित तिमाही के एक माह के भीतर यदि पूर्ववर्ती वर्ष में आवर्त 25 लाख रुपये तक था;

(ख) उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द “खण्ड (क) (ख)” के स्थान पर शब्द “उपनियम (1) अथवा उपनियम (2)” रख दिये जायेंगे।

(ग) उपनियम(1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा—

“परन्तु यह कि संकर्म संविदाकार(वर्क कान्ट्रैक्टर) अपनी सावधिक विवरणी फार्म 3(ख) में दाखिल करेगा।”

सावधिक कार्यवाही करे

(घ) उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द "फार्म 3" के स्थान पर शब्द "फार्म 3(ग)" रख दिया जायेगा।

(ज) उपनियम (3) के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्—

"(घ) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के प्राविधान आवश्यक परिवर्तनों सहित फार्म 3(ख) एवं 3(ग) पर भी आवश्यकतानुसार लागू होंगे।"

(च) (i) उपनियम (7) के प्रथम परन्तुक के अन्त में शब्द "संकर्म संविदाकार अपनी वार्षिक विवरणी फार्म 4(ख) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन प्रकल्पित कर का विकल्प अपनाने वाले ब्यौहारियों द्वारा अपनी वार्षिक विवरणी फार्म 4(ग) में दाखिल की जायेगी" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ii) उपनियम 7 के वर्तमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक रख दिया जायेगा—

"परन्तु यह और कि कर निर्धारक प्राधिकारी पर्याप्त करणों से उसको अभिलिखित करते हुए ऐसी विवरणी को दाखिल करने का समय स्वयं अधिकतम 3 माह तक एवं कमिशनर वाणिज्य कर की लिखित अनुमति से अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकता है।"

(छ) उपनियम(9) के बाद एक नया उपनियम (10) रख दिया जायेगा—

"(10) फार्म 4 में दाखिल वार्षिक विवरणी की प्राप्ति फार्म 33 में जारी की जायेगी।"

(ज) उपनियम(10) के बाद एक नया उपनियम (11) रख दिया जायेगा—

"(11) (एक) नियम 11 के उपनियम में विहित सावधिक विवरणी अंगले पश्चात्वर्ती माह की समाप्ति के पूर्व विभाग की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन अथवा हार्डकापी में दाखिल की जा सकती है:

परन्तु यह कि कमिशनर, वाणिज्य कर एक सामान्य आदेश से उन पंजीकृत ब्यौहारियों द्वारा जिनका सकल आवर्त कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में ऐसी धनराशि से अधिक होने की सम्भावना है अथवा पहले ही अधिक हो गयी है, सर्वाधिक विवरणी 'ऑन लाइन' प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, किन्तु अकलिप्त परिस्थितियों के सम्बन्ध में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करके कर निर्धारक प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में उसका कारोबार पड़ता है, हार्डकापी में विवरणियों को दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

(दो) कलेण्डर माह, जिसमें ऐसी विवरणी दाखिल किया जाना है उसकी समाप्ति के पन्द्रह दिन बाद ब्यौहारी को ऑनलाइन दाखिल की गयी विवरणी की एक हार्डकापी, भुगतान के सबूत के रूप में ट्रेजरी चालान की प्रति के साथ दाखिल करना होगा।

(तीन) विभाग की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल की जा रही विवरणी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट, 2000) के प्राविधान 35 के अनुसार सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा ब्यौहारी अथवा इस निमित्त अधिकृत व्यक्ति को जारी डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा, जिसमें असफल रहने पर इसे विवरणी की केवल सॉफ्टकापी माना जायेगा और ब्यौहारी को विहित समय के भीतर उसकी एक हार्डकापी दाखिल करनी होगी।"

6

3— नियम 19 के उपनियम (1) में निर्धारित फार्म 6 का संशोधन— मूल नियम के नियम 19 के उपनियम (1) में निर्धारित वर्तमान फार्म 6 के स्थान पर संशोधित फार्म 6 दिया जायेगा।

4— नियम 23 के उपनियमों में संशोधन— मूल नियम के नियम 23 में—

(क) उपनियम (3), (6)(क), (6)(ख), (8), (11), (14) तथा उपनियम (16) में प्रयुक्त शब्दावली “असिस्टेन्ट कमिशनर” के स्थान पर शब्दावली “कर निर्धारक प्राधिकारी” रख दी जायेगी।

(ख) उपनियम(1) में उल्लिखित फार्म 11 की “दूसरी प्रति” फार्म की “मूल प्रति” के बाद रख दी जायेगी।

(ग) उपनियम (4) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा—

“परन्तु यह और कि एक एकल फार्म में एक कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित 5 लाख रुपये से अधिक के संव्यवहार आच्छादित किये जा सकते हैं, यदि—

(क) क्रेता व्यापारी अपने प्रार्थना पत्र के साथ कुल खरीद की ब्यौहारी वार सूची दाखिल करेगा,

(ख) कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ब्यौहारी द्वारा सभी विवरणियाँ दाखिल कर दी गयी हैं और देय कर जमा करने का सबूत दिया जा चुका है, और

(ग) फार्म जारी करते समय कर निर्धारक प्राधिकारी फार्म के ऊपर लाल स्याही से सुसंगत कर निर्धारण वर्ष, विक्रेता का नाम तथा आच्छादित धनराशि चिन्हित करेगा।”

5— नियम 30 के उपनियम (16) के बाद उपनियम (17), उपनियम (18), उपनियम (19) तथा उपनियम (20) का जोड़ा जाना

वैट नियमों के नियम 30 के उपनियम (16) के बाद निम्नलिखित नये उपनियम (17), उपनियम (18), उपनियम (19) तथा उपनियम (20) जोड़ दिये जायेंगे—

(17) जिस वर्ग के करदाताओं को यह सुविधा दी जानी है कि वे वैट नियमावली के नियम 30 के उपनियम (1) में निर्धारित फार्म 16 स्वयं डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं उसे कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत किया जायेगा।

(18) उपनियम (17) के प्रयोजन हेतु कमिशनर, वाणिज्य कर द्वारा फार्म 16 की शृंखला तथा क्रमांक जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, को अधिकृत तथा विहित किया जायेगा।

(19) उपनियम (18) के अनुसार डाउनलोड किये गये आयात घोषणा पत्रों(फार्म 16) पर करदाता द्वारा स्वयं अथवा फर्म, कम्पनी आदि के मामलों में इस प्रयोजन हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा हस्ताक्षर का नमूना कमिशनर, वाणिज्य कर तथा कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(20) नियम 30 के अन्य सभी प्राविधान डाउनलोड किये गये आयात घोषणा पत्रों पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आयात घोषणा पत्रों पर लागू होते हैं।

6— नियम 41 के उपनियमों में संशोधन— मूल नियम के नियम 41 के उपनियम (2),(4),(5),(7),(9),(10),(11),(12),(13) तथा (14) में प्रयुक्त शब्दावली "असिस्टेन्ट कमिश्नर" के स्थान पर शब्दावली "कर निर्धारक प्राधिकारी" रख दी जायेगी।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं ८ / २०१० / १८१(१२०) / XXVII(8) / २००८ तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250—250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3—गार्ड फाइल हेतु/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,
Chaturam
(सी०ए०स०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त।

फार्म-3(ख)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अधीन संकर्म संविदाकारों के लिये आवर्त की सावधिक विवरणी।

(नियम 11 के उपनियम (1) का प्रस्तुत देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी

खण्ड / सर्किल

विवरणी की अवधि

से							
तक							

ब्यौहारी का नाम _____

कारबार के मुख्य _____

स्थल का पता _____

शाखा(यदि कोई हो) का पता _____

1- अवधि के दौरान संविदाएं जिनके मद्दे भुगतान प्राप्त किया गया है, का ब्यौरा

क्र0सं0	अनुबन्ध का क्रमांक एवं तारीख	संविदा की अवधि	कुल धनराशि	अवधि के दौरान प्राप्त की गयी धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
कुल				

2. देय कर, स्रोत पर कटौती की धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा

क्र0सं0	विरचना 1 में उल्लिखित तत्सम अनुबन्धों की अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान पर देय कर	स्रोत पर कटौती की धनराशि	चालान द्वारा जमा की धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
कुल				

3. भुगतान का व्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

घोषणा

मैं.....पुत्र श्री.....इस विवरणी पर
हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो
छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रारिथति.....

AB
—

फार्म-3(ग)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन विक्रय आवर्त एवं सामाधान धनराशि की सावधिक विवरणी।

(नियम 11का उपनियम (2) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी
खण्ड / सर्किल -----

विवरणी की अवधि

से							
तक							

ब्यौहारी का नाम -----

कारबार के मुख्य

स्थल का पता -----

शाखा(यदि कोई हो) का पता-----

(रुपये में)

1.	सकल आवर्त	
2.	अनुसूची-II(ग), अनुसूची- III में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री एवं अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट माल जिसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है।	
3.	शेष (1)-(2)	
4.	बिन्दु (3) के ऊपर 1 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि	
5.	भुगतान की गयी धनराशि	

6. भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

घोषणा

मैं.....पुत्र श्री.....इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्रारिथति.....

फॅर्म-4(ख)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अधीन संकर्म सविदाकारों के लिये आवर्त की वार्षिक विवरणी

(नियम 21 का उपनियम (3) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सेवा में

कर निर्धारक प्राधिकारी, वाणिज्य कर खण्ड..... सर्किल.....

कर निर्धारण वर्ष

2	0			-		
---	---	--	--	---	--	--

खण्ड-1

क. व्यौहारी का नाम एवं उत्तराखण्ड में कारबार के मुख्य स्थल का पता

ख. (क) विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम
 (ख) पिता / पति का नाम
 (ग) निवास का पता

(घ) कारबार में प्रास्थिति

ग. पंजीकृत / मुख्य कार्यालय का नाम एवं पता यदि उत्तराखण्ड के बाहर स्थित हो

घ. उत्तराखण्ड में शाखाएं
 (पते सहित)

1-----
 2-----
 3-----
 4-----

ङ. यदि कारबार बन्द हो गया हो तो उसकी तारीख

च. यदि कारबार का पुनर्गठन हुआ है तो पुनर्गठन की तारीख, पुनर्गठित फर्म के नाम एवं पते सहित

६

१— पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त तथा जमा करा गया कर/समाधान राशि (स्रोत पर कर कटौती सहित) का ब्यौरा

क्र0स0	कर निर्धारण वर्ष	कर कटौती अनुबन्ध राशि	कुल जमा धनराशि

२— सविदाओं का ब्यौरा जिनके मद्दे अवधि के दौरान भुगतान प्राप्त किया गया

क्र0स0	अनुबन्ध स0 एवं तारीख	सविदा की अवधि	कुल धनराशि	अवधि के दौरान प्राप्त धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
योग				

३— वर्ष के दौरान प्राप्त भुगतानों पर कुल देय कर:

(सामाधान धनराशि सहित कर देयता की सम्पूर्ण संगणना उल्लिखित करते हुए अलग से एक पन्ना संलग्न करें)

४— देय कर, स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का ब्यौरा

क्र0स0.	विरचना 2 में उल्लिखित तत्सम अनुबन्धों की अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान पर देय कर	स्रोत पर कटौती की धनराशि	चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
योग		(क)	(ख)	
जमा की गयी कुल धनराशि		(क)+(ख)		

५— राज्य के भीतर से क्रय का ब्यौरा:

क्र0स0	विक्रेता ब्यौहारी का नाम	टिन	वस्तु	बिल स0/ तारीख	मात्रा	मूल्य
1						
2						

योग

वार्षिक विवरणी के साथ क्रय किये गये माल की समरत सूची संलग्न की जाये यदि कुल प्राप्त रसमाधान योजना से आच्छादित नहीं है।

6— राज्य के बाहर से माल के क्रय का व्यौरा:

क्र0सं0	विक्रेता व्यौहारी का नाम	टिन	वस्तु	बिल सं0/ तारीख	मात्रा	मूल्य
1						
2						
योग						

वार्षिक विवरणी के साथ समस्त खरीद की सूची संलग्न करें

7— राज्य के बाहर से खरीद पर कर जो धारा 7(2) के अधीन समाधान योजना की शर्तों के अधीन 5 प्रतिशत से अधिक धनराशि की है

क्र0सं0	वस्तु	धनराशि	कर दर	कर
1			@	
			@	
			@	
योग				

8— कुल देय कर (3+6):-

9.	देय शुद्ध कर (यदि 3-4 (+) है)
10	दावाकृत वापसी (यदि 3-4 (-) है)

11— वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये फार्मों का व्यौरा

क्र0सं0	फार्मों का विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में फार्मों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त फार्म	वर्ष के दौरान प्रयोग किये गये फार्म	वर्ष के अन्त शेष फार्म
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	फार्म -16				
2.	फार्म -11				
3.	फार्म - ग				
4.	फार्म -च				
5.	फार्म - ज				
6.	फार्म -ई -1				
7.	फार्म -ई -2				
8.	फार्म				
9.	फार्म				

फार्म की क्रम संख्या, विक्रेता / क्रेता व्यौहारी का नाम, टिन, वस्तु का नाम, बिल सं0/ तारीख, वस्तु की मात्रा तथा मूल्य का उल्लेख करते हुए प्रयुक्त फार्मों की सूची संलग्न करें।

12— भुगतान का व्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
2.					
3.					
4.					
योग					

6

<p>मैं..... पुत्र श्री..... इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतदद्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।</p> <p>तारीख.....</p>	<p><u>घोषणा</u></p> <p>हस्ताक्षर.....</p> <p>नाम.....</p> <p>प्रास्थिति.....</p>
---	--

U
—

फार्म-4(ग)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अधीन विक्रय के आवर्त एवं समाधान धनराशि की वार्षिक विवरणी

(नियम 21 का उपनियम (3) देखें)

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सेवा में

कर निर्धारक प्राधिकारी, वाणिज्य कर खण्ड / सर्किल.....

कर निर्धारण वर्ष

2	0			-		
---	---	--	--	---	--	--

(क) ब्यौहारी का नाम _____
 कारबार के मुख्य _____
 स्थल का पता _____
 शाखा(यदि कोई हो) का पता _____

(ख). (क) विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम _____
 (ख) पिता / पति का नाम _____
 (ग) स्थायी पता _____
 (घ) कारबार में प्रास्थिति _____

(ग). पिछले 2 वर्षों के आवर्त के निर्धारण का ब्यौरा

कर निर्धारण वर्ष		
विक्रय का आवर्त		

(रुपये में)

1.	सकल आवर्त	
2.	अनुसूची-II(ग), अनुसूची- III में विनिर्दिष्ट माल की बिक्री एवं अनुसूची- I में विनिर्दिष्ट माल जिसके ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है।	
3.	शेष (1)-(2)	
4.	बिन्दु (3) के ऊपर 1 प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि	
5.	भुगतान की गयी धनराशि	

यदि सावधिक विवरणियों तथा वार्षिक विवरणियों में दर्शायी गई धनराशि में अंतर है तो अंतर की धनराशि सहित अंतर के कारण का उल्लेख करें।

८
/

6. भुगतान का ब्यौरा

क्र0सं0	चालान संख्या	तारीख	धनराशि	बैंक का नाम	शाखा
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
कुल					

7. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:-

(1) राज्य के भीतर करदेय माल की खरीद की सूची।

<u>घोषणा</u>	
मैं,.....पुत्र श्री.....इस विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत हूँ और मैं एतद्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं और कुछ भी जानबूझकर न तो छिपाया गया है और न गलत कथन किया गया है।	
तारीख.....	हस्ताक्षर.....
	नाम.....
	प्रारिथति.....

८

फार्म-6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप-खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/
भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान
(क) खजाना/ बैंक द्वारा अपने पास रखा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष					-			
------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

कर अवधि (यदि कोई हो)

1	सैक्टर/सर्किल/असिस्टेन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)										
2	खजाना/उप-खजाना/बैंक/बैंक शाखा का नाम										
3	(क) व्यक्ति अथवा व्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।										
(ख) पता											
4	टिन/पंजीयन संख्या										
5	यदि टिन/पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत	प्रार्थित								

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष										विवरण	क्र0सं0	राशि (रुपये में)	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर—कर संग्रह
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर—अर्थदण्ड
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर—पंजीयन फीस
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर—अन्य प्राप्तियाँ
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—कर संग्रह
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—अर्थदण्ड
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—पंजीयन फीस
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—अन्य प्राप्तियाँ
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—कर संग्रह
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—अर्थदण्ड
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—पंजीयन फीस
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—अन्य प्राप्तियाँ
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर—प्राप्तियाँ
0	0	4	0	0	0	8	0	0	1	0	0	14	अन्य प्राप्तियाँ
कुल धनराशि (शब्दों में)										कुल धनराशि (अंकों में)			

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रारिथ्मि.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप-खजाना/बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0

चालान संख्या..... दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना/बैंक की मुहर



फार्म—6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप-खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय स्टेट बैंक/ प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(ख) खजाना/ बैंक द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को भेजा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष

कर अवधि (यदि कोई हो)

1	सैक्टर / सर्किल / असिस्टेन्ट कमिशनर / डिप्टी कमिशनर (कर निर्धारण)		
2	खजाना / उप-खजाना / बैंक / बैंक शाखा का नाम		
3	(क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता		
4	टिन / पंजीयन संख्या		
5	यदि टिन / पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत	प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष												विवरण	क्र0सं0	राशि (रुपये में)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	केन्द्रीय बिक्री कर—कर संग्रह	0 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	केन्द्रीय बिक्री कर—अर्थदण्ड	0 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	केन्द्रीय बिक्री कर—पंजीयन फीस	0 3	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	केन्द्रीय बिक्री कर—अन्य प्राप्तियाँ	0 4	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—कर संग्रह	0 5	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—अर्थदण्ड	0 6	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—पंजीयन फीस	0 7	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर—अन्य प्राप्तियाँ	0 8	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—कर संग्रह	0 9	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—अर्थदण्ड	1 0	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—पंजीयन फीस	1 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	उत्तराखण्ड प्रवेश कर—अन्य प्राप्तियाँ	1 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	उत्तराखण्ड व्यापार कर—प्राप्तियाँ	1 3	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	अन्य प्राप्तियाँ	1 4	
कुल धनराशि (शब्दों में)												कुल धनराशि (अंकों में)		

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रास्थिति..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप-खजाना / बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0
चालान संख्या..... दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना / बैंक की मुहर

८

फार्म-6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/ उप-खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/

भारतीय स्टेट बैंक/ प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(ग) ब्यौहारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को विवरणी/ आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा

कर निर्धारण वर्ष -

कर अवधि (यदि कोई हो)

1	सैक्टर/ सर्किल/ असिस्टेन्ट कमिश्नर/ डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2	खजाना/ उप-खजाना/ बैंक/ बैंक शाखा का नाम	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3	(क) व्यक्ति अथवा ब्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(ख) पता	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	टिन/ पंजीयन संख्या	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5	यदि टिन/ पंजीयन संख्या नहीं हैं तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत <input type="checkbox"/> प्रार्थित <input type="checkbox"/>

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष												विवरण	क्र0सं0	राशि (रुपये में)		
0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-कर संग्रह	0 1	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-अर्थदण्ड	0 2	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-पंजीयन फीस	0 3	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-अन्य प्राप्तियाँ	0 4	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-कर संग्रह	0 5	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-अर्थदण्ड	0 6	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-पंजीयन फीस	0 7	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-अन्य प्राप्तियाँ	0 8	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- कर संग्रह	0 9	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अर्थदण्ड	1 0	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- पंजीयन फीस	1 1	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अन्य प्राप्तियाँ	1 2	
0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर-प्राप्तियाँ	1 3	
0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	अन्य प्राप्तियाँ	1 4	
कुल धनराशि (शब्दों में)												कुल धनराशि (अंकों में)				

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रास्थिति..... जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप-खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु 0

चालान संख्या..... दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना/ बैंक की मुहर

.....

फार्म-6

(नियम 19 का उपनियम (1) देखें)

मूल्य वर्धित कर/ वाणिज्यिक कर/ केन्द्रीय विक्रय कर को खजाना/उप-खजाना भारतीय रिजर्व बैंक/

भारतीय स्टेट बैंक/प्राधिकृत बैंक में जमा करने के लिये चालान

(घ) व्यौहारी द्वारा अपने पास रखा जायेगा

कर निर्धारण वर्ष | | | | - | |

कर अवधि (यदि कोई हो) |

1	सैक्टर/सर्किल/असिस्टेन्ट कमिशनर/डिटी कमिशनर(कर निर्धारण)	
2	खजाना/उप-खजाना/बैंक/बैंक शाखा का नाम	
3	(क) व्यक्ति अथवा व्यौहारी का नाम जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जा रहा है। (ख) पता	
4	टिन/पंजीयन संख्या	
5	यदि टिन/पंजीयन संख्या नहीं है तो जो भी लागू हो	अपंजीकृत प्रार्थित

6 (भुगतान के सुसंगत लेखाशीर्ष को बॉक्स में चिन्हित करें)

लेखाशीर्ष													विवरण	क्र0सं0	राशि (रुपये में)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-कर संग्रह	0 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-अर्थदण्ड	0 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-पंजीयन फीस	0 3	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	केन्द्रीय बिक्री कर-अन्य प्राप्तियाँ	0 4	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-कर संग्रह	0 5	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-अर्थदण्ड	0 6	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-पंजीयन फीस	0 7	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर-अन्य प्राप्तियाँ	0 8	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- कर संग्रह	0 9	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अर्थदण्ड	1 0	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- पंजीयन फीस	1 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	उत्तराखण्ड प्रवेश कर- अन्य प्राप्तियाँ	1 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	उत्तराखण्ड व्यापार कर-प्राप्तियाँ	1 3	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	अन्य प्राप्तियाँ	1 4	
कुल धनराशि (शब्दों में)													कुल धनराशि (अंकों में)		

जमाकर्ता का नाम.....

जमाकर्ता की प्रारिथिति.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

केवल उप-खजाना/ बैंक के प्रयोग हेतु

धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में) रु0

चालान संख्या..... दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप-खजाना/ बैंक की मुहर

N

फार्म-11

(नियम 23 का उपनियम(1) देखिये)

मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यौहारी द्वारा घोषणा का फार्म दूसरी प्रति

जारी करने की तारीख.....

क्रम संख्या.....
व्यौहारी जिसको जारी किया.....
गया है, का नाम व पूरा पता.....
पंजीयन प्रमाणपत्र संख्या.....
तारीख..... से वैध

हस्ताक्षर

(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर)
सैक्टर.....सर्किल.....

(उपरोक्त प्रविष्टियाँ जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरी जायेगी)
सेवा में,

(विक्रेता)

प्रमाणित किया जाता है कि आपसे क्रय किया गया नीचे विनिर्दिष्ट माल हमारे द्वारा माल के विनिर्माण अथवा ऐसे विनिर्मित माल की पैकिंग में पूँजीगत माल और कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिये है और उक्त विनिर्मित माल को धारा 4 की उपधारा (7) में अपेक्षित रीति से बेचा जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पास असिस्टेन्ट कमिशनर, सैक्टर..... सर्किल.....द्वारा मुझे / हमें जारी किया गया मान्यता प्रमाण पत्र संख्या..... है और वह तारीख..... से वैध है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं / हम..... के नाम और अभिनाम से..... (पूरा पता) पर कारबार करते हैं।

क्रय किये गये माल का विवरण

क्रम सं0	विक्रय बीजक/चालान		माल का विवरण	मात्रा/भार	माल का मूल्य
	संख्या	तारीख			
1	2(क)	2(ख)	3	4	5
				योग	

रूपये..... (शब्दों में)

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

नाम.....

प्रास्थिति.....

(टिप्पणी: विक्रेता व्यौहारी को जारी किया जायेगा)

W

वाणिज्य कर विभाग,उत्तराखण्डप्राप्ति पत्र

(कार्यालय हेतु)

(नियम 11 का उपनियम(10) देखें)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर / कर निधारक प्राधिकारी
खण्ड / सर्किल -----

ब्यौहारी का नाम -----
पता -----

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सर्वश्री----- से कर निधारण वर्ष -----
----- के लिये फार्म-4 में वार्षिक विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की।

संलग्नक(यदि कोई हो)

1-----

2-----

3-----

रसीद संख्या व तारीख

हस्ताक्षर-----

नाम -----

कार्यालय की मुहर-----

वाणिज्य कर विभाग,
उत्तराखण्ड

प्राप्ति पत्र

(ब्यौहारी हेतु)

(नियम 11 का उपनियम(10) देखें)
 (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर / कर निधारक प्राधिकारी
 खण्ड / सर्किल -----ब्यौहारी का नाम -----
 पता -----

टिन(पंजीयन संख्या)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

सर्वश्री----- से कर निधारण वर्ष -----
 ----- के लिये फार्म-4 में वार्षिक विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की।

संलग्नक(यदि कोई हो)

1-----

2-----

3-----

रसीद संख्या व तारीख

हस्ताक्षर-----

नाम -----

कार्यालय की मुहर-----

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 81 / 2010 / 181(120) / XXVII(8) / 2008 dated 22 January, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITTA ANUBHAG-8
No. 81 / 2010 / 181(120) / XXVII(8) / 2008
Dehradun :: Dated: 22 January, 2010

Notification

In exercise of powers conferred by section 71 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, The Governor is pleased to make following rules in view of further amendment in Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005-

The Uttarakhand Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2009

- 1- **Short title and Commencement-** (1) These rules may be called The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) (Second Amendment) 2009.
(2) They shall come into force with immediate effect.
- 2- **Amendment of sub-rule(1), sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (7) and addition of new sub-rule (10) and sub-rule (11) in rule 11-**
In rule 11 of The Uttarakhand(The Uttaranchal Value Added Tax Rules, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 herein referred to as the "Principal Rules"-
(a) For the existing sub-rule (1), the following sub-rule(1) shall be substituted-
(1) Every dealer liable to tax other than those covered under sub-rule (2) shall submit to the Assessing Authority a periodical return of his turnover in Form III, in the following manner-
(i) when the turnover in the preceding year exceeded 25 lakh rupees, a monthly return before the expiry of the next succeeding month; and
(ii) when the turnover in the preceding year was upto 25 lakh rupees, a quarterly return ending June 30, September 30, December 31 and March 31 within a month of the quarter concerned;
(b) In the first proviso to sub-rule (2), for the words "clause (a) or clause (b)" the words "sub-rule (1) or sub-rule (2)" shall be substituted.
(c) After sub-rule (1) the following proviso shall be inserted-
"Provided that a Works Contractor shall submit his periodical return in Form-III(B)"

(d) In sub-rule (2), for the words "Form- III", occurring therein, the words "Form- III(C) shall be substituted.

(e) After clause (c) of sub-rule (3), a new clause (d) shall be added; namely-

"(d) The provisions of clause (a), (b) and (c) of sub-rule (3) shall also mutatis-mutandis apply to form-3(b) and form-3(c) wherever necessary."

(f) (i) At the end of the first proviso to sub-rule (7), the words "works contractors shall submit their annual return in Form-IV(B) and the dealers opting for presumptive tax under sub-section(1) of section 7 of the Uttarakhand Value Added Tax Act shall submit their annual return in Form-IV(C)" shall be added.

(ii) In sub-rule(7), for the existing second proviso, the following proviso shall be substituted-

"Provided further that the Assessing Authority may for adequate reasons to be recorded in writing extend the time for filing such return upto not more than 3 months and with the written permission of the Commissioner, Commercial Tax for not more than six months."

(g) After sub-rule (9) a new sub-rule(10) shall be inserted; namely-

"(10) the Acknowledgement of annual return in Form-IV shall be issued in Form- XXXIII.

(h) After sub-rule (10), a new sub-rule (11) shall be inserted; namely-

"(i) The periodical return prescribed in rule- 11(1) may be submitted either online on the official website of the department or in hard copy before the expiry of the next succeeding month:

Provided that the Commissioner, by a general order, may make it mandatory to submit the periodical returns online by the registered dealers, whose turnover in the assessment year is likely to exceed or has already exceeded such amount in the immediately preceding assessment year, as he may deem fit, but in case of unforeseen circumstances, the assessing officer, in whose jurisdiction his business lies, may for adequate reasons to be recorded in writing, permit submission of returns in hard copy.

(ii) The dealer shall have to file a hard copy of the return submitted online on the official website of the department along with copy of treasury challans as proof of deposit of tax after fifteen days from the expiry of the calendar month in which such return is due to be furnished.

(iii) The return being submitted online on the official website of the department will be authenticated by the digital signature of the dealer or the person authorized in this behalf, issued by a certifying authority in accordance with the provision 35 of the Information Technology Act, 2000, failing which it shall be treated as a soft copy of the return only and the dealer shall have to file a hard copy thereof within the prescribed time."

3- **Amendment of Form-VI prescribed in sub-rule(1) of rule 19-** In sub-rule (1) of rule 19 of the "Principal Rules", for the existing prescribed Form-VI, an **amended Form-VI** shall be substituted.

4- Amendment of sub-rules of rule 23-

In rule 23 of the "Principal Rules"-

(a) In sub-rule (3), (6) (a), (6)(b), (8), (11), (14) and sub-rule(16), the words "Assistant Commissioner" occurring therein shall be substituted by the words "**Assessing Authority**".

(b) "Duplicate copy" of Form XI mentioned in sub-rule(1) shall be placed after the "original copy" of the Form.

(c) After the first proviso to sub-rule(4) the following proviso shall be inserted-
"Provided further that a single form may cover transactions of more than Rs. 5 Lakhs in one assessment year, if-

- (a) purchasing dealer submits dealer-wise list of total purchases with his application,
- (b) the assessing officer is satisfied that the dealer has submitted all the returns and has submitted the proof of deposit of tax due, and
- (c) while issuing the form the assessing officer shall mark the relevant assessment year, name of the seller and amount covered with red ink on the form.

5- Addition of sub-rule (17), sub-rule (18), sub-rule (19) and sub-rule (20) after sub-rule (16) of rule 30-

After sub-rule(16) of rule 30 of the Vat rules, new sub-rule(17), sub-rule(18), sub-rule(19) and sub-rule(20) shall be added-


(17) The Commissioner, Commercial Tax shall authorise the class of the assessees who will be allowed to download themselves and use Form-XVI prescribed under sub-rule (1) of rule 30 of the Vat rules.

(18) For the purpose of sub-rule (17) the Commissioner, Commercial Tax shall authorise and prescribe the series and serial nos. of Form- XVI which can be downloaded.

(19) The declaration forms for import (Form- XVI) downloaded as per sub-rule (18) shall be signed by the assessee himself or in case of firm, company etc. by the signatory authorised for this purpose and the specimen signature shall be furnished to the Commissioner, Commercial Tax and the Assessing Authority.

(20) All other provisions of rule 30 shall apply also to the downloaded Declaration Form for Import as they apply to the Declaration Form for Import received from the office of the Assessing Authority.

6- Amendment of sub-rules of rule 41- In rule 41 of the "Principal Rules" in sub-rule(2), (4), (5),(7), (9),(10),(11), (12), (13) and (14) the words "Assistant Commissioner" occurring therein shall be substituted by the words "Assessing Authority**".**


(ALOK KUMAR JAIN)
PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE.

FORM III-(B)

PERIODICAL RETURN OF TURNOVER FOR WORKS CONTRACTORS U/s
7(2) OF UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005.

(see proviso to sub-rule(1) of rule 11

To,

Assessing Authority, Commercial Tax
Sector/Circle-----

RETURN PERIOD

From						
To						

Name of the dealer -----

Address of the Principal
place of business -----

Address of branch (if any)-----

TIN(Registration No.)

0	5						
---	---	--	--	--	--	--	--

1. Details of Contracts on account of which payment received during the period

S.No.	Agreement No. & Date	Duration of the contract	Total amount	Amount received during the period
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
TOTAL				

2. Details of the tax due, amount deducted at source & amount deposited

S.No.	Tax due on the payment received during the period for corresponding agreements mentioned in frame 1.	Amount deducted at source	Amount deposited by Challan	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Total				

3. PAYMENT DETAILS:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
Total					

Declaration

I,.....
S/o.....
am authorized to sign this return and I do hereby declare and verify that, the information and particulars given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Date.....

Signature.....

Name.....

Status.....

W
—

FORM III-(C)

PERIODICAL RETURN OF TURNOVER OF SALES & COMPOSITION MONEY U/s 7(1)
OF UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005.

(see sub-rule(2) of rule 11

TIN(Registration No.)

0	5							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

To,

Assessing Authority, Commercial Tax
Sector/Circle-----

RETURN PERIOD

From						
To						

Name of the dealer -----

Address of the Principal
place of business -----

Address of branch (if any)-----

(in rupees)

1.	GROSS TURNOVER	
2.	SALE OF GOODS SPECIFIED IN SCHEDULE-II(C), SCHEDULE-III & THE GOODS SPECIFIED IN SCHEDULE-I ON WHICH ADDITIONAL EXCISE DUTY IS LEVIABLE	
3.	BALANCE (1)-(2)	
4.	COMPOSITION MONEY@ 1% OF (3)	
5.	AMOUNT PAID	

6. PAYMENT DETAILS:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
Total					

Declaration

I,.....S/o.....
am authorized to sign this return and I do hereby declare and verify that, the information and particulars given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Date.....

Signature.....

Name.....

Status.....

NM

FORM IV-(B)

ANNUAL RETURN OF TURNOVER FOR WORKS CONTRACTORS U/s 7(2) OF
UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005.
(see sub-rule(3) of rule 21)

TIN(Registration No.)

0	5										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

To,

The Assessing Authority, Commercial Tax
Sector-----Circle -----

ASSESSMENT YEAR

2	0			-			
---	---	--	--	---	--	--	--

PART-1

- A- Name of the dealer and
Address of Principal place
of business in Uttarakhand
- B- (a) Name of person submitting the
return
(b) Father's / Husband's name
(c) Residential address
- (d) Status in business
- C- Name and address of Registered/
Head office
if situated outside Uttarakhand
- D- Branches in Uttarakhand
(with address)
- 1-----
2-----
3-----
4-----
- E- If business is closed, the date of
closure
- F- If the business has been
reconstituted the date of
reconstitution along with name and
address of the reconstituted firm

- 1- Details of amount received and tax/ composition money (including tax deducted at source) deposited during the last two years;

Sl.no.	Assessment Year	Total Amount Received	Total Amount Deposited

- 2- Details of Contracts on account of which payment received during the period

S.No	Agreement No. & Date	Duration of the contract	Total Amount	Amount received during the period
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Total				

- 3- TOTAL TAX DUE ON PAYMENTS RECEIVED DURING THE YEAR:
 (A separate sheet is to be attached giving the full calculations of tax liability, including compounding amount)

- 4- Details of the tax due, amount deducted at source & amount deposited

S.No	Tax due on the payment received during the period for corresponding agreement mentioned in frame 2	Amount deducted at source	Amount deposited by challan	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Total		(A)	(B)	
TOTAL AMOUNT DEPOSITED		(A)+(B)		

5- Details of purchases from within State:

S.No.	Name of selling dealer	Tin	Commodity	Bill no./ Date	Quantity	Value
1						
2						
TOTAL						

A list of all purchases is to be attached with the annual return if the total receipt is not covered by composition scheme.

6- Details of purchases from outside the State:

S.No.	Name of selling dealer	Tin	Commodity	Bill no./ Date	Quantity	Value
1						
2						
TOTAL						

A list of all purchases is to be attached with the annual return

7- Tax on the purchases from outside the state, which are in excess of 5% of the amount as under the conditions of compounding scheme u/s 7(2),

S.No.	Commodity	Amount	Tax Rate	Tax
1			@	
			@	
			@	
Total				

8- TOTAL TAX DUE (3+6):-

9.	NET TAX PAYABLE (if 3-4 is +)	
10	REFUND CLAIMED (if 3-4 is -)	

11- Details of forms used during the year;

S.No	Description of Forms	Opening stock of forms	Forms received during the year	Forms used during the year	Closing stock of forms
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Form-16				
2.	Form-11				
3.	Form-C				
4.	Form-F				
5.	Form-H				
6.	Form-E-1				
7.	Form-E-2				
8.	Form				
9.	Form				

List of the used forms giving the Sl.no. of the form, name of the seller/purchaser dealer, TIN, name of commodity, Bill no/ date, quantity & value of the commodity is to be eclosed.

12- PAYMENT DETAILS:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch
1.					
2.					
3.					
4.					
Total					

Declaration

I,.....S/o..... am authorized to sign this return and I do hereby declare and verify that, the information and particulars given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Date.....

Signature.....

Name.....

Status.....

FORM IV-(C)

ANNUAL RETURN OF TURNOVER OF SALES & COMPOSITION MONEY U/s 7(1) OF
UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX ACT, 2005.

(see sub-rule(3) of rule 21)

TIN(Registration No.)

0	5									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

To,

The Assessing Authority, Commercial Tax
Sector/ Circle-----

ASSESSMENT YEAR

2	0			-			
---	---	--	--	---	--	--	--

A- Name of the dealer -----

Address of the Principal
place of business -----

Address of branch (if any)-----

B- (a) Name of person submitting-----
the return

(b) Father's / Husband's name-----

(c) Residential address-----

(d) Status in business-----

C- Details of assessed turnover of sales in the last two years:

Assessment Year	
Turnover of Sales	

(in rupees)

1.	GROSS TURNOVER	
2.	SALE OF GOODS SPECIFIED IN SCHEDULE-II(C), SCHEDULE-III & THE GOODS SPECIFIED IN SCHEDULE-I ON WHICH ADDITIONAL EXCISE DUTY IS LEVYABLE	
3.	BALANCE (1)-(2)	
4.	COMPOSITION MONEY@ 1% OF (3)	
5.	AMOUNT PAID	

if there is difference between the amounts disclosed in Periodic Returns and Annual
Return, reason should be given for the difference along with amount of difference.

Vn

6. PAYMENT DETAILS:-

S.No.	Challan No.	Date	Amount	Name of the Bank	Branch
1.					
1.					
2.					
3.					
4.					
Total					

7. Please enclose the following:-

- (1) List of purchases of taxable goods within the State.

Declaration

I,.....S/o.....
am authorized to sign this return and I do hereby declare and verify that, the information and particulars given in this return are true and complete and nothing has been willfully omitted or wrongly stated.

Date.....

Signature.....

Name.....

Status.....

4
—

FORM VI

(See Sub-Rule(1) of Rule 19)

**Challan for payment of Value Added Tax/ Trade Tax/ Central Sales Tax into Treasury/ Sub-Treasury/
R.B.I./ S.B.I./ Authorised Bank.**

(A) To be retained by the Treasury /Bank

Assessment Year											Tax Period(if any)	
1	Sector/ Circle/ Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner(Assessment)											
2	Name of Treasury/Sub-Treasury/ Bank/ Bank Branch											
3	a.	Name of the person or dealer on whose behalf amount is being paid.										
	b.	Address										
4	TIN/ Registration No.											
5	if there is no TIN/ Registration No. then whichever is applicable										Unregistered	Applied For

6

(Tick the relevant head of account of remittance in the box)

Head of Account												Particulars			S.No	Amount (in Rs.)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Tax Collection			0 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Penalty			0 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Registration Fee			0 3	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales-Other Receipts			0 4	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	U.K. Value Added-Tax Collection			0 5	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax-Penalty			0 6	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	U.K. Value Added Tax- Registration Fee			0 7	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax- Other Receipts			0 8	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Tax Collection		0 9	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Penalty		1 0	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	U.K. Entry Tax- Registration Fee		1 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Other Receipts		1 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	U.K. Trade Tax- Receipts		1 3	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	Other Receipts		1 4	
Total Amount (In Words)												Total (In figure)				

Name of Depositor.....

Status of Depositor.....

Signature of Depositor.....

ONLY FOR USE BY SUB-TREASURY/ BANK

Amount(in figure) Rs.(In words) Rs.

Challan No.....Date.....

Signature of Recipient
Seal of Sub-Treasury/ Bank

FORM VI

(See Sub-Rule(1) of Rule 19)

**Challan for payment of Value Added Tax/ Trade Tax/ Central Sales Tax into Treasury/ Sub-Treasury/
R.B.I./ S.B.I./ Authorised Bank.**

(B) To be sent by the Treasury /Bank to Commercial Tax Department

Assessment Year -

Tax Period(if any)

1	Sector/ Circle/ Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner(Assessment)												
2	Name of Treasury/Sub-Treasury/ Bank/ Bank Branch												
3	c. Name of Person or dealer on whose behalf Amount is being Paid. d. Address												
4	TIN/ Registration No.												
5	if there is no TIN/ Registration No. then whichever is applicable	Unregistered				Applied For							

6 (Tick the relevant head of account of remittance in the box)

Head of Account												Particulars				S.No	Amount (in Rs.)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Tax Collection				0 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Penalty				0 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Registration Fee				0 3	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales-Other Receipts				0 4	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	U.K. Value Added-Tax Collection				0 5	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax-Penalty				0 6	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	U.K. Value Added Tax- Registration Fee				0 7	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax- Other Receipts				0 8	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Tax Collection			0 9	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Penalty			1 0	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2	U.K. Entry Tax- Registration Fee			1 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1	U.K. Entry Tax- Other Receipts			1 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	U.K. Trade Tax- Receipts			1 3	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	Other Receipts			1 4	
Total Amount (In Words)												Total (In figure)					

Name of Depositor.....

Status of Depositor.....

Signature of Depositor.....

ONLY FOR USE BY SUB-TREASURY/ BANK

Amount(in figure) Rs. (In words) Rs.

Challan No..... Date.....

Um
—

Signature of Receipt
Seal of Sub-Treasury/ Bank

FORM VI

(See Sub-Rule(1) of Rule 19)

**Challan for payment of Value Added Tax/ Trade Tax/ Central Sales Tax into Treasury/ Sub-Treasury/
R.B.I./ S.B.I./ Authorised Bank.**

(D) To be retained by the dealer

Assessment Year										Tax Period(if any)							
1	Sector/ Circle/ Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner(Assessment)																
2	Name of Treasury/Sub-Treasury/ Bank/ Bank Branch																
3	g.	Name of Person or dealer on whose behalf Amount is being Paid.															
	h.	Address															
4	TIN/ Registration No.																
5	if there is no TIN/ Registration No. then whichever is applicable										Unregistered			Applied For			

6 (Tick the relevant head of account of remittance in the box)

Head of Account												Particulars				S.No	Amount (in Rs.)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Tax Collection				01	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Penalty				02	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Registration Fee				03	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales-Other Receipts				04	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	U.K. Value Added-Tax Collection				05	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax-Penalty				06	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	U.K. Value Added Tax- Registration Fee				07	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax- Other Receipts				08	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Tax Collection				09	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Penalty				10	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2 U.K. Entry Tax- Registration Fee				11	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Other Receipts				12	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1 U.K. Trade Tax- Receipts				13	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0 Other Receipts				14	
Total Amount (In Words)												Total (In figure)					

Name of Depositor.....

Status of Depositor.....

Signature of Depositor.....

ONLY FOR USE BY SUB-TREASURY/ BANK

Amount(in figure) Rs.(In words) Rs.

Challan No..... Date.....

Signature of Recipient
Seal of Sub-Treasury/ Bank

FORM VI

(See Sub-Rule(1) of Rule 19)

**Challan for payment of Value Added Tax/ Trade Tax/ Central Sales Tax into Treasury/ Sub-Treasury/
R.B.I./ S.B.I./ Authorised Bank.**

(C) To be submitted by the Dealer to Assessing Authority with Return/Application

Assessment Year			-			Tax Period(if any)	
-----------------	--	--	---	--	--	--------------------	--

1	Sector/ Circle/ Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner(Assessment)											
2	Name of Treasury/Sub-Treasury/ Bank/ Bank Branch											
3	e. Name of Person or dealer on whose behalf Amount is being Paid. f. Address											
4	TIN/ Registration No.											
5	if there is no TIN/ Registration No. then whichever is applicable	Unregistered				Applied For						

6 (Tick the relevant head of account of remittance in the box)

Head of Account												Particulars			S.No	Amount (in Rs.)
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Tax Collection			0 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Penalty			0 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales Tax-Registration Fee			0 3	
0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	Central Sales-Other Receipts			0 4	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	U.K. Value Added-Tax Collection			0 5	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax-Penalty			0 6	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	3	0	U.K. Value Added Tax- Registration Fee			0 7	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	4	0	U.K. Value Added Tax- Other Receipts			0 8	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Tax Collection			0 9	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Penalty			1 0	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	2 U.K. Entry Tax- Registration Fee			1 1	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	5	0	1 U.K. Entry Tax- Other Receipts			1 2	
0	0	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1 U.K. Trade Tax- Receipts			1 3	
0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0 Other Receipts			1 4	
Total Amount (In Words)												Total (In figure)				

Name of Depositor.....

Status of Depositor.....

Signature of Depositor.....

ONLY FOR USE BY SUB-TREASURY/ BANK

Amount(in figure) Rs.(In words) Rs.

Challan No.....Date.....

[Signature]

Signature of Recipient
Seal of Sub-Treasury/ Bank

FORM XI
 (See sub-rule (1) of rule 23)
Form of Declaration by a dealer holding a Recognition Certificate
Duplicate

Serial No.-----

Date of issue-----

Name and full address of-----
 the dealer to whom issued-----
 Registration Certificate No. 05-----
 Valid with effect from-----

Signature

(Seal of the issuing authority)

Sector-----Circle-----

(The above entries to be filled in by the issuing authority)

To,

 (seller)

Certified that the goods specified below purchased from you are for use as Capital Goods and raw material in the manufacture of goods or in the packing of such manufactured goods and that the said manufactured goods would be sold in the manner contemplated in sub-section (7) of section 4.

Certified that I hold the Recognition Certificate no. _____ issued to me/us by the Assistant Commissioner, Sector _____ Circle _____ and the same is valid with effect from _____.

Certified that I/ we carry on business under the name and style of _____

at _____ (full address)

Details of goods purchased

S.No.	Sale Invoice/ Challan		Description of goods	Quantity/ weight	Value of goods
	Number	Date			
1	2(a)	2(b)	3	4	5
Total					

Rupees _____ (in words)

Date _____

Signature _____

Place _____ Name _____

Status _____

(Note- To be issued to the selling dealer)

[Signature]

FORM-XXXIII

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
UTTARAKHAND

ACKNOWLEDGMENT

(For office)

(see sub-rule(10) of rule 11)

(To be filled in by the office)

Office of the Assistant Commissioner/ Assessing Authority
Sector/ Circle-----

Dealer's Name -----

Address-----

TIN(Registration No.)

0	5								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Received with thanks from-----
an Annual Return in form- IV for the assessment year.....

Enclosure(if any):-

1-----

2-----

3-----

Receipt no. and Date.

Signature-----

Name -----

Office Stamp -----

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT
UTTARAKHAND

ACKNOWLEDGMENT

(For dealer)

(see sub-rule(10) of rule 11)

(To be filled in by the office)

Office of the Assistant Commissioner/ Assessing Authority
Sector/ Circle-----

Dealer's Name -----

Address-----

TIN(Registration No.)

0	5								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Received with thanks from-----
an Annual Return in form- IV for the assessment year.....

Enclosure(if any):-

1-----

2-----

3-----

Receipt no. and Date.

Signature-----

Name -----

Office Stamp -----

